

बिहार समाचार

रोहतास में दस किलो पेंगोलिन शल्क बरामद, तीन तस्कर गिरफ्तार

डेहरी ऑन सोन (आससे.)। रोहतास जिले के वन विभाग के ने वन्यजीवों के अंगों की अवैध तस्करी और बिन्की के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कैमूर पहाड़ी के जंगलों के प्रतिबंधित वन्यजीव पेंगोलिन के शकल की 10 किलो तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए वन विभाग की टीम ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वन प्रमंडल और वन अपराध नियंत्रण ब्यूरो कोलकाता के संयुक्त टीम ने की है। इस मामले में तीन तस्कर सुनील सिंह गोसाईपुर नोखा ,संजय कुमार रामपुर बक्सर जिला ,विमल पासवान बेलावा कैमूर जिला को गिरफ्तार किया गया है। वन जीव अंगों की तस्करी करने वाले इस बड़े नेटवर्क और स्रोतों का पता लगाया जा रहा है।वन विभाग के अनुसार 29 सितंबर को गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई। बरामद शल्क जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि शल्क कहां से लाए गए और नेटवर्क में कौन-कौन शामिल है।डीएफओ स्टालिन कुमार फिडल ने कहा कि संरक्षित वन्यजीवों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

साइबर ठगी में एक लाख तीस हजार वापस, पीड़ित को मिली राहत

डेहरी ऑन सोन (आससे.)। साइबर थाना कांड संख्या 11/25 में ठगी के शिकार युवक को पुलिस की कार्रवाई से बड़ी राहत मिली है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार पीड़ित मोहम्मद नाजिम आलम, पिता मोहम्मद इब्रार अली, उम्र 39 वर्ष, ग्राम भरुंउआ, थाना चेनारी, जिला रोहतास के साथ 6 फरवरी 2025 को कुल 1 लाख 80 हजार रुपये की साइबर ठगी हुई थी पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी गई राशि को वापस कराने का प्रयास शुरू किया। पूर्व में 95 हजार रुपये की राशि वापस कराई गई थी, जबकि वर्तमान में 35 हजार रुपये और रिकवर कर पीड़ित को लौटाए गए।इस प्रकार कुल एक लाख 30 हजार रुपये की राशि पीड़ित को वापस दिलाई गई है। शेष राशि की बरामदगी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है।साइबर थाना की इस कार्रवाई से लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। पुलिस ने लोगों से साइबर ठगी से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध लेन-देन की तुरंत सूचना देने की अपील की है।

रोहतास में गैस सिलेंडर लीक होने से चार महिला झुलस गयी

डेहरी ऑन सोन (आससे.)। जिले के रोहतास थाना क्षेत्र के बकनौरा पंचायत के वार्ड नंबर 10 में देर रात गैस सिलेंडर लीक होने से केशनाथ राम के घर में आग लग गयी।आग की चपेट में आने से चार महिलाएं झुलस गईं। हादसे में घर में रखा सामान, जेवरात समेत अन्य वस्तुएं भी जल गईं। आग की खबर मिलते ही मौके पर जुटे ग्रामीण घर में आग लगने को खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीणी मौके पर पहुंच गए, ग्रामीणीं ने काफी मशकत के बाद आग पर काबू पाया. आग बुझाने के दौरान इलाके में अफरातफरी का माहौल बना रहा।गुखिया प्रतिनिधि रवि पासवान के अनुसार, आग की चपेट में चंद्रमुखी (22), किरण देवी (28), सरिता देवी (32) और अनीता देवी (35) आ गई. चंद्रमुखी और किरण देवी के पिता केशनाथ राम बताए गए हैं, जबकि सरिता देवी सुनील राम की पत्नी और अनीता देवी अनिल राम की पत्नी हैं।

पूर्वतन रेलवे
खुली ई-निविदा सूचना
भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक/इंजीनियरिंग/पुल्वीनर रेलवे/लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाईन खुली ई-निविदाये आमंत्रित की जाती हैं जिसका विवरण नीचे निम्नवत है:-
ई-निविदा सं.: NER-LJN-2026-254; कार्य का नाम: पुल्वीनर रेलवे लखनऊ मंडल- PJ, CM, NTV, GKP नई गिट आउट, GKP पुनर्नी पिट, GKP फंरट, कूटरर पुं SS, AEN SS, Jagdebla, MM, JIM, MEA और MHH में इलेक्ट्रिकल सव-स्टेशन बिलिंग में सुधार, 17 स्टेशनों पर पैनल रूम, स्ट्रेर कम आदि का अपग्रेडेशन, NTV, ANDN और BST में कॉमिश्नियल डिपार्टमेंट स्टोर रूम (साइज 3x4m) की व्यवस्था, GKC, GKP, KLD, BST, MUR और ANDN में TI ऑफिस का निर्माण और वीरच नंदन अडीजीपुनर/प्रथम/लज् के अधिकांश क्षेत्र में आने वाले स्टेशनों की ६ अडिगमों पर रईवर्ड डेवलाइज गाइड/पावसे की व्यवस्था। अनुमानित लागत (₹): ₹5,40,41,955.0६; अंशिम धन (₹): ₹10,80,800/-; अनुमान अवधि: १२ माह: 1. उपरोक्त ई-निविदा संख्या NER-LJN-2026-254 के लिए ई-निविदा दिनांक 22.10.2026 को 15:00 बजे तक अपलोड की जा सकती है तथा उसी दिन रात 15:00 बजे को बाद ई-निविदा खोली जायेगी।
2. उपरोक्त ई-निविदा से सम्बन्धित सभी सूचना, निमामत अर्हता, नियम एवं शर्तों का पूर्ण विवरण पुब्लिकर वेब के डेवराइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। निविदाकार ई-निविदा प्रपत्र को अपलोड करने से पूर्व इस ई-निविदा सूचना से संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध शुद्धि पत्र (यदि, कोई हो तो) को भी सजान में लेना सुनिश्चित करें।
मंडल रेल प्रबंधक/इंजीनियरिंग मुजाधि/डब्ल्यू-364 लखनऊ
टैगों में बोली/सिगरेट न भिये

ICICI Bank	
सार्वजनिक सूचना - प्रत्यक्षता आस्टे की बिंदी हेतु निविदा-सह-ई-नीलामी	
[नियम 8 (6) का प्राधान्य देखें]	
अवत संघितियों की बिंदी हेतु सूचना	
अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय की सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुन: निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सहायित प्रतिभूतीय ब्याज (प्रवर्तन) निमामवली, 2002 की धारा 8(6) के अधीन प्रत्यक्ष शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया जा रहा है, जिसे विकल्प वृत्त पर इस/एक संश्लिप्त समिति (यौ) की बिंदी निष्पत्ति कार्यक्रम के अनुसार करी जाणी। समाविष्ट अवसरों को, जो बयान राशि (इसमें) डिम्पड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) को आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, डी/58/19-ए4, सिगर, वाराणसी, सूची- 221010 के नवंबर 06, 2026 तक शाम 05:00 बजे से पूर्व जमा करना अनिवार्य है एवं इससे पर्याप्त व अनप्राप्त प्रत्यक्ष अवसरों के माध्यम से इसमें शामिल के भुगतान साब्य अधिन केक डीडी पवनी की रकम को (अप्रार्ति) नवंबर 06, 2026 तक शाम 05:00 बजे से पूर्व जमा करें यदि समाविष्ट बोलियाँ(यौ) अक्सरट के माध्यम से उनके प्रस्ताव को जमा करते हैं बिना खरों हैं, तो वे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, डी/58/19-ए4, सिगर, वाराणसी, सूची- 221010 के निविदा प्रेक्खों की हस्ताक्षरित प्रति को नवंबर 06, 2026 को शाम 05:00 बजे से पूर्व तज जमा करना सकते हैं। बयान राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ प/अंडर किसी भी राष्ट्रीय/पुष्ट/ सेंकूड बैंक द्वारा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की वाराणसी शाखा के पक्ष में भुगतान हेतु होना चाहिए। संपत्ति निरीक्षण, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तों तथा निविदा प्रक्रिया के संदर्भ में स्परीकरण हेतु कृपया आईसीआईसीआई बैंक में 9372730494 / 73049414763 पर संपर्क करें।	
प्रत्यक्ष अधिकारी बिना किसी कारण बलाए किसी एक अथवा अधिक निविदा व बोली को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। किसी के विस्तृत निर्माण एवं शर्तों हेतु कृपया वेबसाइट www.icicibank.com/n4p4s पर संपर्क करें।	
तिथि : अक्टूबर 01, 20२6, स्थान : वाराणसी	

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में यूपी ने बढ़ाया निवेश और रोजगार का दायरा-केशव

लखनऊ (आससे.)। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के अंतर्गत राज्य स्तरीय इम्पाक्ट समिति की 22वीं बैठक में लिए गए निर्णयों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में हो रही निरंतर प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों, कार्मिकों, उद्यमियों तथा लाभार्थियों को बधाई दी है। प्रदेश सरकार कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, किसानों की उपज का मूल्य संवर्धन करने तथा युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय इम्पाक्ट समिति की अध्यक्षता में बैठक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति- 2023 के अंतर्गत योजनाओं की प्रगति, नवीन निवेश प्रस्तावों, वित्तीय प्रोत्साहनों तथा उद्यमियों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया 15 सितम्बर तक नीति के



वर्ष 2026-27 में 29 सितम्बर तक 291 नवीन आवेदन प्राप्त हुए हैं। स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय क्रिस्त के रूप में 132.61 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।बैठक में नीति- 2023 के अंतर्गत 51 नवीन प्रस्तावों पर विचार किया गया। इनमें प्रोजेज

गोलीकांडमें मनोहर यादव को उम्रकैद, ५० हजार रुपये जर्माना

गाजीपुर (ह.स.)। बरियाबाद थाना क्षेत्र के बहुचर्चित गोलीकांड में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने अभियुक्त मनोहर यादव को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, आर्मस् एक्ट की धारा 3/25 के तहत दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जर्माने की सजा सुनाई गई। अभियोजन के अनुसार घटना 24 मार्च 2021 की है। शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने बताया कि सर्वेश यादव और उसका मित्र दीपक यादव बीयर की दुकान पर सेल्समैन के रूप में काम करते थे। दोनों सादात से अपने गांव लौट रहे थे। गांव के पास सड़क पर पहुंचते पर आरोप के मनोहर यादव ने सर्वेश यादव के पेट में गोली मार दी। इस दौरान दीपक यादव के हाथ में भी गोली लगी। घटना की जानकारी मिलने पर सर्वेश की मां शीला देवी मौके पर पहुंचीं। अभियोजन के मुताबिक गंभीर रूप से घायल सर्वेश ने अपनी मां को बताया कि मनोहर यादव ने उसे गोली मारी है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजनों की ओर से कुल 14 गवाह पेश किए गए। हालांकि घायल गवाह दीपक यादव ने अदालत में हमलावर की पहचान करने से इनकार करते हुए कहा कि मौके पर मौजूद लोगों के चेहरे ढके हुए थे। अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर मनोहर यादव को आजीवन कारावास और धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड की 50 हजार रुपये की राशि में से आधी रकम मुकदमा वादी शीला देवी को दिए जाने का आदेश दिया गया है। करीब साढ़े पांच साल पुराने इस मामले में अदालत के फैसले से अभियोजन पक्ष को महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्षों में मतभेद

नयी दिल्ली (आससे.)। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही इंदगहा मस्जिद विवाद में हिंदू याचिकाकर्ताओं के बीच ‘श्रीकृष्ण विराजमान’ की ओर से प्रतिनिधित्व को लेकर सहमति नहीं बन सकी। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछली सुनवाई में सह-वादियों को आपसी सहमति बनाने का पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन वे साझा रख के साथ नहीं आए। वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी दीवान ने कहा कि सभी पक्ष मूल रूप से एक ही पक्ष में हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में मामला आगे नहीं बढ़ सकता। इस पर पीठ ने कहा कि यदि पक्षकार आपस में तय नहीं कर पाते तो अदालत सभी की दलीलें विस्तार से सुनेगी। पीठ ने टिप्पणी की कि मामला बार-बार अटक रहा है और इसमें ‘तारीख पर तारीख’ पड़ रही है। मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी।

फ्ल एवं सब्जी प्रसंस्करण, केटल फीड, डिहाइड्रेटेड फ्ल एवं सब्जियां, मिठाई-नमकीन-बेकरी एवं आइसक्रीम, प्रोजेज रेडी-टू-ईट उत्पाद, पोटेटो फ्लेक्स, सोया उत्पाद, डेयरी एवं दुध उत्पाद, दाल एवं आटा प्रसंस्करण, खाद्य तेल, सौर ऊर्जा आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित विभिन्न मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। नवीन प्रस्तावों में महिला उद्यमी समूहों सहित विभिन्न इकाइयों द्वारा सौर ऊर्जा आधारित खाद्य प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव शामिल हैं। रेडी-टू-कुक खाद्य उत्पाद, आटा, मसाले, दाल, मिठा, आधारित दाल, सोया उत्पाद, ब्रेडकम्ब्स, फ्लूट जूस, डिब्बाबंद फल एवं सब्जियां तथा गुड़ आधारित इकाइयां शामिल हैं।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, मीरजापुर

ई-टेंडरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों की अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या:-05/अधी.अभि./2026-27									
महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु आनलाईन निविदा http://etender.up.nic.in के माध्यम से सिंचाई विभाग में वीकीकृत श्रेणी के प्रोजेक्ट वेवदरों से तालिका सं०-02 के अनुसार आमंत्रित की जाती है, एवं इनमे निहित कार्यक्रमनुसार विभाग द्वारा गठित समिति के सम्म ऑनलाइन खोली जायेगी।									
तालिका सं०-01									
कंड सं०	कार्य का नाम	अनुमानित मात्रा	घरेलू राशि (लाख ₹0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा जारीज कर के संहिता	बैंकक राशि हेतु अधिकृत खण्ड का नाम	टेकेदार की श्रेणी		
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	बिहारी काली बीरर के किंमि 1200 से 1400 एच किंमि 5250 से 8000 तक सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	1.04	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया किराली बीर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
02	गुणुर राजवाला के किंमि 0000 से 1900 एच किंमि 5700 से 8100 तक सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	1.22	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया किराली बीर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
03	गुडुर राजवाला के किंमि 4300 से 6000 तक सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	0.71	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया किराली बीर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
04	गुडुर गानुर के किंमि 1800 से 2200 तक सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	0.92	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया किराली बीर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
05	गुडुर गानुर के किंमि 1900 से 4340 तक सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	0.82	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया किराली बीर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
06	गान्धारी राजवाला के किंमि 0100 से 4900 एच किंमि 12260 से 12850 तक सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	1.55	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया किराली बीर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
07	गंगा बीर सर्लर रींग किंमि 0000 से 2205 एच किंमि गानुर सर्लर रींग किंमि 0000 से 0810 तक सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	0.84	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया किराली बीर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
08	अरली राजवाला के किंमि 2100 से किंमि 5200 तक सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	0.93	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया किराली बीर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
09	गुणुर गानुर के किंमि 0000 से 3500 तक सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	1.05	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया किराली बीर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
10	भिक्षान बांर के किंमि 3200 से किंमि 34700 तक नहर के सर्लर रींग की उली पदरी जमा किंमि 47, 900 से किंमि 48300 तक एवं किंमि 50100 से किंमि 51100 तक नहर के सर्लर रींग की खली पदरी के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	1.12	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया कौरापुर नहर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
11	खली पदरी खडुरी नहर के किंमि 7600 से किंमि 8000 तक एवं किंमि 12500 से किंमि 14500 तक नहर के सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	0.84	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया कौरापुर नहर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
12	खली लोहर खडुरी नहर के किंमि 0.680 से किंमि 1, 940 तक एवं किंमि 7000 से किंमि 8125 तक नहर के सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	0.99	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया कौरापुर नहर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
13	अनर कौरापुर में गौरापुर राजवाला के किंमि 8, 000 से किंमि 8490 जमा किंमि 8300 से किंमि 10300 से गंग सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	1.35	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया कौरापुर नहर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
14	अनर कौरापुर में खोरा गंग केनार के खली पदरी के किंमि 5100 से किंमि 6300 जमा खली पदरी के किंमि 14500 से किंमि 17100 से किंमि 18500 एवं किंमि 19000 से किंमि 20100 से गंग सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	1.22	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया कौरापुर नहर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
15	अनर कौरापुर में गौरापुर राजवाला के किंमि 5,000 से किंमि 5100 एवं किंमि 7000 से किंमि 11600 एवं किंमि 14500 से किंमि 17100 से किंमि 18500 एवं किंमि 19000 से किंमि 20100 से गंग सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	2.56	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया कौरापुर नहर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली ए एच उयय		
16	गानुर गानुर नहर के किंमि 22300 से किंमि 24000 एवं किंमि 24100 से किंमि 25800 तक सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	0.89	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया कौरापुर नहर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
17	किरौली गानुर के किंमि 0100 से किंमि 1580 तक सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	1.16	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया कौरापुर नहर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
18	भिक्षान बांर के किंमि 4000 से किंमि 11000 तक सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	2.08	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया कौरापुर नहर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली ए एच उयय		
19	गुडुर राजवाला के किंमि 1200 से किंमि 3, 200(US) किंमि 3400 से किंमि 4650(R/S) किंमि 6500 से किंमि 7800(R/S) तक सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	1.34	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया कौरापुर नहर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
20	अनर कौरापुर में सिता गानुर गानुर नहर किंमि 12000 से किंमि 16200 तक नहर की पदरी के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	1.26	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया कौरापुर नहर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
21	अनर कौरापुर में सिता गानुर गानुर के किंमि 18 900 से किंमि 18450 किंमि 22300 से 22300 एवं किंमि 22800 से किंमि 23800 से किंमि 25800 तक नहर की पदरी के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	1.69	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया कौरापुर नहर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
22	अनर कौरापुर में सिता गानुर गानुर के किंमि 0 000 से किंमि 3100 तक नहर की पदरी के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	0.91	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया कौरापुर नहर अग्रय, कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		
23	गुणुर राजवाला के किंमि 0100 से 5750 तक सर्लर रींग के नवीकीकरण का कार्य।	बिह कास कालिप्टी के अनुसार	1.65	45 दिन	₹. 2554.00	अधिलारी अधिनया बीर अग्रय द्वितीय, लवदहवाला,कौरापुर	बिहिल अेली बी एच उयय		

तालिका सं०-2 महत्वपूर्ण तिथियाँ			
Sr.	Particulars	Date	Time
1-	Upload on website	01.10.2026	14:00
2-	Bid Submission Start	01.10.2026	14:30
3-	Bid Submission End	08.10.2026	14:30
4-	Technical Bid Opening	08.10.2026	15:00
5-	Financial Bid Opening	Date and place to be decided after technical bid evaluation and will be communicated on-line to successful bidders in technical bid.	

01. इस ई-निविदा की सूचना, विवरण व शर्तें उपर्युक्त सरकार की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> सूचना विभाग की वेबसाइट <http://information.up.nic.in> तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट <http://idup.gov.in> भी उपलब्ध है।

०2. इस ई-निविदा की सूचना से सम्बन्धित शेष सूचनाएँ, शर्तें एवं बुद्धीकरण सम्बन्धी सूचनायें वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध रहेंगी। निविदादाता कृपया उक्त वेबसाइट पर निरन्तर अवलोकन करने का कष्ट करें।

उ.प्र.:- 257078
दिनांक:- 28.09.2026

(एस.एन. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता
वेबसाइट:- www.upgov.nic.in पर उपलब्ध है।

वाटिका गुप का अध्यक्ष गिरफ्तार

गुरग्राम (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वाटिका लिमिटेड (वैटिका समूह) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अनिल भट्ना और प्रमोटर गौतम भट्ना को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सोमवार 28 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई। उन पर आवासीय भूखंडों की धोखाधड़ी और गैर-वितरण का आरोप है। ईडी ने यह कार्रवाई आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर की है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को मंगलवार 29 सितंबर को गुरग्राम की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 3 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

शेष

अब मतदाता...

घोषणा अभी दिखाई दे रही है। इसीआईनेट पोर्टल पर यह बदलाव मंगलवार देर रात किया गया। आयोग ने 26 सितंबर को अतिरिक्त घोषणा की जरूरत नहीं होने की जानकारी दी थी। फॉर्म-6 में अतिरिक्त हिस्सा जोड़े जाने को लेकर चुनाव आयोग के भीतर मतभेद की खबर सामने आई थी। एक अंग्रेजी दैनिक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि नियमों में बदलाव किए बिना वैधानिक फॉर्म-6 में नया हिस्सा जोड़ा गया। संधू ने ऑनलाइन फॉर्म-6 में जोड़े गए हिस्से को कथित तौर पर ‘अनाधिकृत और अवैध’ बताते हुए इसे हटाने की बात कही थी। फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नया